

पत्रावली पेश हुई। पीठारीन अधिकांश
पूर्वानुसार दिनांक 13-7-2020 को पेश हा।

13/7/2020

पत्रावली पेश हुई। पीठारीन अधिकांश
पूर्वानुसार दिनांक 22-10-2020 को पेश हा।

22/10/2020

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपो। वकील
प्रार्थी को प्राणपत्र पर सुना गया। संयुक्त
खातेदारी भूमि में प्रार्थी के हिस्से का सीमाशा
नियमानुसार संभव नहीं होने से प्रार्थना पत्र
चलने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थी
का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली
कैसलक्षुमार होकर नम्बर से कम हो।

22.10.2020

(सुरेश कुमार शर्मा)
उपस्थान अधिकारी
हिन्दुस्तान (करोली)

